सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2019/00132(81/2019) दर्ज तिथिः–15.07.2019

1. भोमाराम पुत्र जोधाराम
2. जेताराम पुत्र जोधाराम
   जाति जाट निवासी मीठीबेरी ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल तहसील गुड़ामालानी हाल नोखड़ा जिला बाड़मेर।

............................वादीगण

बनाम

1. जोधा पुत्र केसरा
2. पेमीदेवी पत्नी जोधा
3. वीरों पुत्री जोधाराम
4. जाति जाट निवासी मीठीबेरी ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल तहसील गुड़ामालानी हाल नोखड़ा जिला बाड़मेर।

..........................असल प्रतिवादीगण

5. शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 बैक गुड़ामालानी
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी हाल नोखड़ा।

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादीः–श्री गंगाराम चौधरी
श्री मोहनलाल विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–ःनिर्णयः–

निर्णय तिथिः–24.11.2025

1. आज यह पत्रावली दावा बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। हस्तगत वाद पत्र निणर्यन हेतु प्रकरण का सारतः सूक्ष्म विवरण इस प्रकार से हैः–
   - कि आराजी खसरा संख्या 116/1 रकबा 19–08 बीघा है0 मौजा मीठीबेरी व खसरा संख्या 44/2 रकबा 19–03 बीघा मौजा राजनगर गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी में वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण के पूर्वज केसरा के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 18:56:14 IST
Reason: SelfAttested

समय की खातेदारी आराजी दर्ज रिकार्ड है। जिनका पारिवारिक सजरा निम्नानुसार है–

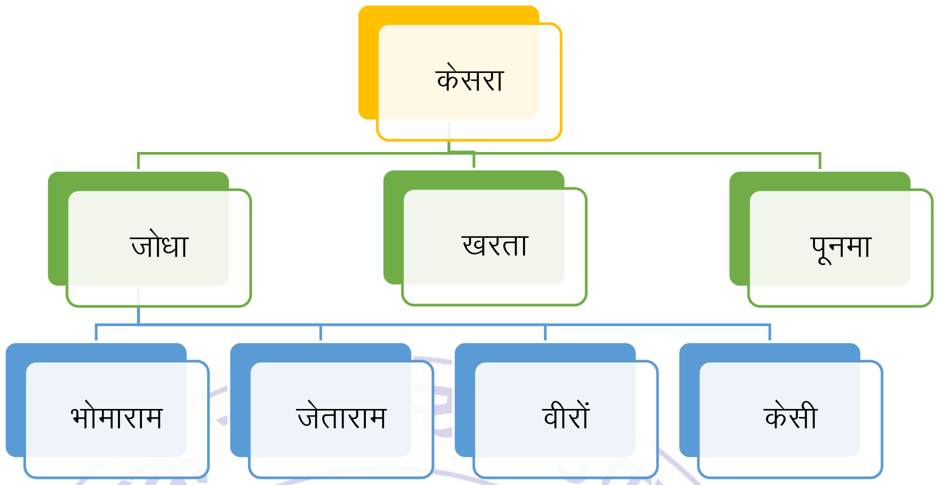

- कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 हिन्दू होने के कारण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 से शासित होते है। वादीगण संख्या 01 व 02 एवं प्रतिवादी संख्या 03, प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र–पुत्रिया है। प्रतिवादी संख्या 02 प्रतिवादी संख्या 01 की धर्मपत्नी है।
- कि वादी संख्या 01 व 02 का वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 03 प्रतिवादी संख्या 01 की जायंदा पुत्री होने के कारण 1/4 हिस्सा की खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 03 के ससुराल में भूमि उपलब्ध होने के कारण वादी संख्या 01 व 02 के पक्ष में सहमति देने के पक्ष में है। प्रतिवादी संख्या 01 स्वयं खातेदार है एवं प्रतिवादी संख्या 02 के पति होने से दोनो का सामलाती 1/4 हिस्सा खातेदारी घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।
- प्रतिवादी संख्या 01 बुजुर्ग व्यक्ति है जो वादीगण को हर तरह से नुकसान पहुंचा कर किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति करने नही दे रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिस्से अनुसार मौके पर वहांमी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है।
- प्रतिवादी संख्या 01 वादग्रस्त आराजी में अपने नाम का राजस्व रिकॉर्ड का अनुचित लाभ उठाकर वादीगण को नुकसान पहुंचाने की नियत से वादग्रस्त खेतों को बेचान करने पर उतारू है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को पैतृक संपत्ति का वादीगण की बिना सहमति विक्रय नहीं करने की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 के जीवित रहते वादीगण व प्रतिवादी संख्या 03 की खातेदारी घोषणा की जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उक्त प्रकरण में पूर्व में हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 09.10.2020 को निर्णय सुनाया गया। उक्त निर्णय की प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 18:56:14 IST
Reason: SelfAttested

अपील प्राधिकारी बाड़मेर में अपील की गई। माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा हाजा न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.10.2020 को अपास्त कर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर वाद एवं जवाबदावे के आधार पर विधि सम्मत विवेचन करते हुए गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय 90 दिवस में पारित किया जावे। तत्पश्चात पत्रावली पुनः सुनवाई पर ली जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन सूचित किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा पेश कर निम्न प्रकार निवेदन कियाः–

- कि वादीगण द्वारा पैतृक आराजी खसरा संख्या 44/2 रकबा 3.0999 है0 मौजा राजनगर एवं खसरा सख्या 116/1 रकबा 3.1404 है0 में खातेदारी घोषणा हिस्सा 1/4–1/4 करने का वाद पेश किया है।
- कि उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा अपना हिस्सा वादीगण जोधाराम व जेताराम को बराबर–बराबर देने पर सहमति प्रदान की।
- कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण जरिये राजीनामा सहमति अनुसार खसरा संख्या 44/2 मौजा राजनगर में प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने अपना हिस्सा वादी संख्या 01 भोमाराम के नाम एवं खसरा संख्या 116/1 मौजा कुकणों की ढाणी में प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने अपना हिस्सा वादी संख्या 02 जेताराम के हिस्से में खातेदारी घोषित किये जाने पर सहमति दी गई है।
- इस प्रकार खसरा संख्या 44/2 मौजा राजनगर वादी संख्या 01 भोमाराम व खसरा संख्या 116/1 मौजा कुकणों की ढाणी वादी संख्या 02 जेताराम के नाम खातेदारी घोषित की जावे।

3. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रकरण में यह निर्विवादित है कि मुतनाजा आराजी पैतृक आराजी होकर सहदायकी संपत्ति है। साथ ही यह भी निर्विवादित है कि वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त आराजी में सहदायक है। उक्त प्रकार से सहदायक संपत्ति में समस्त सहदायक द्वारा राजीनामा प्रस्तुत करते हुए कुछ सहदायकों द्वारा अपना हिस्सा शेष सहदायकों के पक्ष में हकत्याग कर दिया है। ऐसा किया जाना हिन्दू विधि में अनुमत है। इस प्रकार उक्त राजीनामा स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा संख्या 44/2/3.0999 है0 मौजा राजनगर पर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का हिस्सा वादी संख्या 01 भोमाराम के हिस्से में एवं आराजी खसरा संख्या 116/1/3.1404 है0 मौजा कुकणों की ढाणी में से प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का हिस्सा वादी संख्या 02

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 18:56:14 IST
Reason: SelfAttested

जेताराम के हिस्से में मुताबिक राजीनामा सालिम खातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 23.12.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी—बाड़मेर

कार्यालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 18:56:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2019/00132(81/2019) दर्ज तिथिः—15.07.2019

1. भोमाराम पुत्र जोधाराम
2. जेताराम पुत्र जोधाराम
   जाति जाट निवासी मीठीबेरी ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल तहसील गुड़ामालानी हाल नोखड़ा जिला बाड़मेर।

..........................वादीगण

बनाम

1. जोधा पुत्र केसरा
2. पेमीदेवी पत्नी जोधा
3. वीरों पुत्री जोधाराम
4. जाति जाट निवासी मीठीबेरी ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल तहसील गुड़ामालानी हाल नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.........................असल प्रतिवादीगण

5. शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 बैक गुड़ामालानी
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी हाल नोखड़ा।

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादीः—श्री गंगाराम चौधरी
श्री मोहनलाल विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा संख्या 44/2/3.0999 है0 मौजा राजनगर पर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का हिस्सा वादी संख्या 01 भोमाराम के हिस्से में एवं आराजी खसरा संख्या 116/1/3.1404 है0 मौजा कुकणों की ढाणी में से प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 18:56:14 IST
Reason: SelfAttested

वादी संख्या 02 जेताराम के हिस्से में मुताबिक राजीनामा सालिम खातेदार घोषित किया जाता है।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 23.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 18:56:14 IST
Reason: SelfAttested

भोमाराम बनाम जोधाराम
2019 / 00132
निर्णय दिनांकः–23.12.2025